न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 197 सन् 2019

रमिता सिंह व अन्य ————————वादीगण

बनाम

प्रभुनाथ सिंह.....प्रतिवादी

दिनांकः–25.10.2021

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–17.03.2020 अंदर आदेश 22 नियम 3 वो दफा 151 जाप्ते दिवानी पर प्रतिउत्तर दिनांक 25.10.2021 सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने अपने आवेदन में सार रूप में कहा है कि वादी सं0 2 मदन सिंह की मृत्यु दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। वादी सं0 2 के स्वग्रवासी होने के पश्चात् उनके नाम को काटकर उसके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम रेकर्ड पर आना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी सं0 2 मदन सिंह का नाम काटकर उनके वारिसानों का नाम वादी के खाने में दर्ज किया जाए। इसके लिए वादीगण सदा आभारी रहेगा।

प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में सार रूप से कहा है कि जिस बेयानात के साथ वादी ने सवाल दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि काबिले खारिज के है। वादी का सवाल विलंब अवस्था में दी गई हैं वादी ने जानबूझकर सवाल देने में विलंब किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है वादी का सवाल साथ खर्चा खारिज फरमाया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेंख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय सीमा के अंदर है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 17.03.

2020 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से चौदह दिन के अंदर सिंरिस्तेदार के समक्ष अपने आवेदन के आलोक मे संसोधन कर लें।

वाद दिनांक–02.12.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।